न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 218/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00303)

1. तोफली पत्नि ईश्वर
2. लक्ष्मण पुत्र बालूराम
3. शांति देवी पत्नि प्यारेलाल
4. कमला पत्नि प्रभातीलाल

समस्त जाति बैरवा, निवासीयान ग्राम श्यालावास कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. गुलाबचन्द पुत्र किशनलाल
2. रमेश चंद पुत्र किशनलाल
3. रामजीलाल पुत्र किशनलाल
4. बिमला पुत्री किशनलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी अम्बेडकर की मूर्ति के सामने कुटी (बांदीकुई) तह0 बसवा जिला दौसा।

5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।
6. आंवटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 13.09.2019 जो प्रकरण अनुवानी तोफली बनाम गुलाबचंद प्रकरण नम्बर 02/2015 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा नियम 14(4) आंवटन रूल्स पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 5 व 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—08.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 13.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.04.1976 को ग्राम श्यालावास कलां, तहसील बसवा में स्थित चारागाह योग्य भूमि के आराजी खसरा नम्बर 200 में से 05 बीघा भूमि का आंवटन कम्पूरी देवी पत्नि किशनलाल जाति बैरवा निवासी कुटी तहसील बसवा को किया गया था। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 14 (4) इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आंवटन रूल्स की अवेहलना करके धोखे से आंवटन योग्य भूमि न होने के बावजूद भी आंवटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा ने बिना उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील कराये व बिना आवेदन किये दिनांक 24.04.1976 को कम्पूरी देवी पत्नि किशनलाल जाति बैरवा निवासी कुटी का वाके ग्राम श्यालावास कलां की चराई योग्य भूमि खसरा नम्बर 200 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त कम्पूरी के देहान्त होने पर कम्पूरी के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को पक्षकार वनाया गया है। उक्त कम्पूरी देवी को आंवटित की गई चरागाह भूमि खसरा नम्बर 200 में से 5 वीघा ग्राम श्यालावास कला तहसील बसवा आवंटन दिनांक 24.04.1976 का निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन रूल्स पेश किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किये जाने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2019 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट तोफली पत्नि ईश्वर वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया किया कि उक्त आवटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके बिना उदघोषणा जारी किये बिना व बिना उदघोषणा की तामील करवाये बिना व बिना जॉच किये बिना किया गया है इस बात पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही करके और आवटन को बहाल करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह तथ्य उठाया था कि कम्पूरी ने अपना प्रार्थना पत्र खसरा नंबर 201/1 ग्राम सहजपुरा मे से 5 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्तुत किया था ग्राम श्यालावास कलां की भूमि का आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया था ना ही उक्त श्यालावास कलां की भूमि बाबत कोई जॉच की गयी थी बिना कोई जॉच किये बिना विधि विरुद्ध आवंटन किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर किये बिना अपना निर्णय पारित करके और प्रार्थना पत्र 14(4) आवटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है। जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह भूमि खसरा नंबर 200 वरवक्त आवटन कृषि योग्य भूमि नही थी बल्कि चराई योग्य भूमि थी जो जमांबदी संवत 2031 लगा० 2034 से भलीभांति सिद्ध है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमांबदी की नकल भी पेश की थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर कोई किये बिना व बिना कोई फाइन्डिग दिये बिना प्रार्थना पत्र 14 (4) आवटन रूल्स को खारिज करने मे कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपीलान्ट ने यह उज्र लिया था कि कम्पूरी श्यालावास कला की रहने वाली नही है बल्कि कुटी की रहने वाली है उक्त आवंटन ग्राम पंचायत हैडक्वाटर पर भी नही किया गया है उक्त कम्पूरी ने उक्त भूमि पर कब्जा भी प्राप्त नही किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने इस किसी भी बात पर कोई गौर किये बिना व कारण अंकित किये बिना प्रार्थना पत्र 14 (4) आवटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने मुख्य उज्र यह लिया था कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही है उक्त भूमि मे होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है रास्ते के अलावा शेष भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण व प्रार्थी के बुर्जुगो का कब्जा रहा है व आज भी प्रार्थीगण का कब्जा है उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के रहवास बने हुए है व मकान बना हुआ है उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि नही है किन्तु अधिनस्थ न्यायलय ने इस किसी भी बात पर कोई गौर किये बिना व कारण अंकित किये बिना प्रार्थना पत्र 14(4) आवटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे प्रार्थीगण के द्वारा उठाये गये किसी भी बिन्दु के बारे में कोई हवाला नही दिया ना ही कोई स्पष्ट कारण अंकित किया और मात्र यह लिखकर कि खातेदारी अधिकार मिल गये है और 40 वर्षो के बाद आवटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है यह फाईन्डिग देकर के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अनेको कानूनी नजीरो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर आवटन नियम विरोधी है व आवटन की शर्तों की पालना नही हुई है तो किसी भी समय आवटन को निरस्त किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का विस्तृत विवेंचन व हवाला दिये बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 13.09.2019 को निरस्त फरमाकर निर्णय आवटन सलाहकार समिती एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 24.04.1976 जिसके तहत कम्पूरी पत्नि किशनलाल जाति बैरवा निवासी कुटी को वाके ग्राम श्यालावास कला तहसील बसवा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 200 में से 5 बीघा के किये गये आवटन को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं वकील अपीलान्ट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी ने आवंटन को निरस्त करने के कोई ठोस आधार नहीं बताए है न ही यह स्पष्ट किया है कि किन नियमों का उल्लघंन किया गया है न ही यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी किस प्रकार प्रभावित है जबकि लगभग 48 वर्षों से उक्त भूमि की खातेदार आंवटी एवं उसके वारिसान खातेदार है एवं भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण में राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे की स्थिति का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है। उपरोक्त विवेचन एवं साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।